

# झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची-834001

## प्रेस विज्ञप्ति

नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू में कुलसचिव (विज्ञापन संख्या-02/2019) के एकल पद पर नियुक्ति हेतु सत्यापन/साक्षात्कार संबंधी सूचना।

नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू में कुलसचिव (विज्ञापन संख्या-02/2019) के एकल पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार कार्यक्रम निम्न रूप से निर्धारित है:-

पद का नाम	अभिलेख सत्यापन की तिथि	साक्षात्कार की तिथि	समय
कुलसचिव	30.08.2019	31.08.2019	10:00 बजे पूर्वाह्न

2. अस्वीकृत (कारण सहित) एवं औपबंधिक रूप से स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपना नाम एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार अपना बुलावा पत्र (Call Letter) दिनांक-23.08.2019 से आयोग की वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर अपना नाम एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदकों को बुलावा पत्र (Call Letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। बुलावा पत्र (Call Letter) डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में आवेदक आयोग के **Helpline No. 0651- 2213009** पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है अथवा दिनांक-23.08.2019 से कार्यालय अवधि में आयोग के पूछताछ काउन्टर पर अपना नाम एवं जन्म तिथि के साथ आवेदन देकर बुलावा पत्र (Call Letter) प्राप्त कर सकते हैं।

4. अभिलेख सत्यापन के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन में उल्लिखित अपनी योग्यता संबंधी निम्नांकित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

- जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
- मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र।
- इंटरमीडिएट का अंक पत्र।
- इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र।
- स्नातक का अंक पत्र।
- स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र।
- स्नातकोत्तर का अंक पत्र।
- स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाण पत्र।
- नियुक्ति पत्र, अधिसूचना एवं योगदान संबंधी प्रमाण पत्र।
- वैसे उम्मीदवार, जिनके प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है एवं यदि प्रमाणपत्र/अंक पत्र में ग्रेडिंग को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु नियम का उल्लेख न हो उन्हें अपने विश्वविद्यालय/संस्था से उक्त ग्रेडिंग को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति।
- At least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer or six years' experience as Associate Professor or Reader or as Professor along with experience in educational administration/Directorate.

OR

Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education.

OR

At least 15 years of administrative and teaching or administration experience of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post.

नोट:-उम्मीदवार द्वारा आवेदन में उल्लेखित उक्त अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।

कृ०पृ०उ०

- (xii) कार्यरत संस्था/विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (xiii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
- (xiv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
- (xv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
- (xvi) साथ ही इन सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि-10.05.2019 के पूर्व का ही होना आवश्यक है। अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन में दिए गये निदेशों के अनुरूप कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता एवं अनुभव के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
- (xvii) सभी उम्मीदवार अपने सत्यापन/साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना दो पासपोर्ट साईट फोटो (वर्तमान का) एक फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/झाईविंग लाइसेंस इत्यादि स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
- (xviii) सत्यापन/साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। सत्यापन/साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। सत्यापन/साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xix) संबंधित उम्मीदवार उक्त सत्यापन/साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

5. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर अपलोड रहेगा।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

1879

दिनांक 21/08/19